

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
89 / 2024

दायर दिनांक
24.05.2024

निर्णय दिनांक
10.06.2024

अनवान

1. जमनाबाई पत्नि रामचन्द्र जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. प्रेमदेवी पुत्री नाराण जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. बाबूलाल पुत्र नाराण जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. भगवान पुत्र दला जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मुकेश पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. मिट्टुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. सुगना पुत्री रामचन्द्र जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. सुरेश चन्द्र पुत्र नाराण जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. सोहनी बाई पत्नि नाराण जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. काली पुत्री बगता जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गोपीलाल पिता भुरा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. बाबूलाल पिता बगता जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. पूरणमल पिता होकमा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मांगीबाई पत्नी होकमा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. रतन लाल पिता होकमा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. शंकर लाल पिता जयराम जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. रोशन पिता होकमा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. मुकेश पिता मोहन लाल जाति जायसवाल आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. भमवान लाल पिता गोपीलाल जोशी जाति ब्राह्मण (जोशी) आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री किशन लाल जाट
एकतरफा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 429 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2299 रकबा 0.32 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 10.06.2024 को अप्रार्थी सं0 1 से 10 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 429 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2299 रकबा 0.32 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन